

# विष अधिनियम, 1919

(1919 का अधिनियम संख्यांक 12)<sup>1</sup>

[3 सितम्बर, 1919]

**2\*\*\* विषों के आयात, कब्जे और विक्रय को विनियमित करने वाली विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम**

यतः 2\*\*\* विषों के आयात, कब्जे और विक्रय को विनियमित करने वाली विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है, अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

**1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—**(1) यह अधिनियम विष अधिनियम, 1919 कहा जा सकेगा ।

<sup>3</sup>(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परंतु यह जम्मू और कश्मीर राज्य को उस विस्तार तक के सिवाय लागू नहीं होगा जिस तक कि इस अधिनियम के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट विष के भारत में आयात से सम्बद्ध हैं ।]

**2. किसी विष के विक्रयार्थ कब्जे और विक्रय को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति—**(1) 4\*\*\* राज्य सरकार, अपने प्रशासनाधीन सम्पूर्ण राज्यक्षेत्रों या उनके किसी भाग के भीतर किसी विनिर्दिष्ट विष के, चाहे थोक या फुटकर, विक्रयार्थ कब्जे और विक्रय को नियम द्वारा विनियमित कर सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

(क) किसी विनिर्दिष्ट विष को, चाहे थोक या फुटकर, बिक्री के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्तियों का दिया जाना, और ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस (यदि कोई हो) नियत करना ;

(ख) उन व्यक्तियों के वर्ग केवल जिन्हें ऐसी कोई अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी ;

(ग) उन व्यक्तियों के वर्ग केवल जिन्हें ऐसा कोई विष विक्रीत किया जा सकेगा ;

(घ) ऐसे किसी विष की अधिकतम मात्रा जितनी किसी एक व्यक्ति को विक्रीत की जा सकेगी ;

(ङ) ऐसे किसी विष के विक्रेताओं द्वारा बिक्री के रजिस्ट्रों का रखा जाना, ऐसे रजिस्ट्रों में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, और उनका निरीक्षण ;

(च) ऐसे विषों की सुरक्षित अभिरक्षा और उन पात्रों, पैकेजों या आवेष्टकों पर लेबल लगाना जिनमें ऐसा कोई विष विक्रीत किया जाता है या विक्रयार्थ कब्जे में रखा जाता है ; और

(छ) ऐसे किसी विक्रेता द्वारा विक्रयार्थ कब्जे में रखे गए ऐसे किसी विष का निरीक्षण और परीक्षण ।

**3. अनुज्ञप्ति के बिना किसी विष का भारत में आयात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति—**केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट विष का, <sup>5</sup>[केंद्रीय सरकार द्वारा परिनिश्चित किसी सीमाशुल्क सीमान्त<sup>6</sup> के पार] से <sup>7</sup>[भारत] में आयात, किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और अनुसार करने से अन्यथा करने का प्रतिषेध कर सकेगी, और अनुज्ञप्तियों के दिए जाने को नियम द्वारा विनियमित कर सकेगी ।

<sup>1</sup> यह अधिनियम 1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा बेल्लारी जिले को लागू होने से निरसित ।

यह अधिनियम—

(1) 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली को ;

(2) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप को ; और

(3) 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी को, लागू करने के लिए विस्तारित किया गया ।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा “सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत पर” शब्द निरसित किए गए ।

<sup>3</sup> 1958 के अधिनियम सं० 47 की धारा 3 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रणाधीन” शब्द निरसित ।

<sup>5</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>6</sup> भारत की सीमाशुल्क सीमाओं की परिभाषा के लिए, देखिए भारत का राजपत्र, 1955, भाग 2, खंड 3, पृ० 1521.

<sup>7</sup> 1958 के अधिनियम सं० 47 की धारा 3 द्वारा “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. कुछ क्षेत्रों में किसी विषय के कब्जे को विनियमित करने की शक्ति—(1) <sup>1\*\*\*</sup> राज्य सरकार किसी विनिर्दिष्ट विषय का कब्जा किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में नियम द्वारा विनियमित कर सकेगी जिसमें हत्या या पशुओं को विष देकर रिप्टि करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विषय का उपयोग उसे इस प्रकार बारंबार किया जाना प्रतीत होता है कि उसके कब्जे पर निर्बन्धन वांछनीय हो गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि उसका भंग कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, उस विषय के जिसके सम्बन्ध में भंग हुआ है और उन पात्रों, पैकेजों या आवेष्टकों के जिनमें वह पाया जाए, समपहरण सहित दण्डनीय होगा।

5. विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में उपधारणा—इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचना में विषय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई पदार्थ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विषय समझा जाएगा।

6. विधिविरुद्ध आयात आदि के लिए शास्ति—(1) जो कोई—

(क) धारा 2 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करेगा ; या

(ख) <sup>2</sup>[केन्द्रीय सरकार द्वारा परिनिश्चित सीमाशुल्क सीमान्त<sup>3</sup> के पार से <sup>4</sup>[भारत] में, अनुज्ञप्ति के बिना, किसी ऐसे विषय का आयात करेगा जिसका <sup>5\*\*\*</sup> आयात धारा 3 के अधीन तत्समय निर्बन्धित है ; या

(ग) धारा 3 के अधीन किसी विषय के आयात के लिए उसे दी गई किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को तोड़ेगा, वह निम्नलिखित रूप से दण्डनीय होगा,—

(i) प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों ; और

(ii) द्वितीय या पश्चात्पूर्वी दोषसिद्धि पर कारावास जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों।

(2) कोई विषय जिसके संबंध में इस धारा के अधीन कोई अपराध किया गया है उन पात्रों, पैकेजों और आवेष्टकों सहित जिसमें वह पाया गया हो समपहृत किया जा सकेगा।

7. तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति—(1) जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेन्सी नगर में पुलिस आयुक्त किसी ऐसे स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकेगा और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास या संदेह करने का कारण है कि वहां इस अधिनियम या इसके अधीन के किसी नियम के उल्लंघन में कोई विषय कब्जे में है या विक्रीत किया जाता है या कि इस अधिनियम के अधीन समपहृत किया जा सकने वाला कोई विषय रखा या छिपाया हुआ है।

(2) वह व्यक्ति जिसको वारंट निर्दिष्ट किया गया है उसके अनुसार उस स्थान में प्रवेश और उसकी तलाशी कर सकेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)<sup>6</sup> के तलाशी वारंटों से सम्बन्धित उपबंध उस वारंट के निष्पादन को यावत् लागू समझे जाएंगे।

8. नियम—(1) इसमें इसके पूर्व प्रदत्त नियम बनाने की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त <sup>1\*\*\*</sup> राज्य सरकार <sup>2</sup>[धारा 3 के सिवाय] इस अधिनियम के प्रयोजनों और उद्देश्यों को साधारणतया क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की प्रत्येक शक्ति नियमों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने की शर्त के अधीन होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सब नियम <sup>7</sup>[शासकीय राजपत्र] में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हों।

<sup>8</sup>[(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गर्वनर जनरल के नियंत्रणाधीन” शब्द निरसित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> भारत की सीमाशुल्क सीमाओं की परिभाषा के लिए, देखिए भारत का राजपत्र, 1955, भाग 2, खंड 3, पृ० 1521.

<sup>4</sup> 1958 के अधिनियम सं० 47 की धारा 3 द्वारा “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “ब्रिटिश भारत में” शब्द निरसित।

<sup>6</sup> अब देखिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)।

<sup>7</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 के पैरा 4 द्वारा “यथास्थिति, भारत का राजपत्र या स्थानीय शासकीय राजपत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित। अनिवार्यतः प्रतिस्थापन को “यथास्थिति, शासकीय राजपत्र या शासकीय राजपत्र पढ़ा जाएगा” किन्तु अंतिम नौ शब्दों का स्पष्टतया निरर्थक होने के कारण उनका लोप किया गया।

<sup>8</sup> 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंतःस्थापित।

पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

**9. व्यावृत्तियाँ—**(1) इस अधिनियम की या तद्धीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या बनाए गए किसी नियम की कोई बात किसी चिकित्सा या पशु-चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उस रूप में अपनी वृत्ति के प्रयोग में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात पर विस्तारित नहीं होगी या उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(2) इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार <sup>1</sup>साधारण या विशेष आदेश द्वारा घोषित कर सकेगी कि [धारा 3 के सिवाय] इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट वाणिज्य की किसी चीज या चीजों के वर्ग को अथवा ऐसे विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी विषय या विषयों के वर्ग को लागू होने वाले नहीं समझे जाएंगे।

(3) वह प्राधिकारी, जिसे नियम बनाने की कोई शक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त की गई है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, या तो साधारणतया या उस आदेश में विनिर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में या तो पूर्णतः या भागतः—

(क) किन्हीं ऐसे नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा, या

(ख) उपधारा (1) द्वारा उपबंधित छूट की परिधि से अपवर्जित कर सकेगा।

**10. [1904 के अधिनियम सं० 1 का निरसन 1]—**निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) द्वारा निरसित।

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “अपने विवेकाधिकार से” शब्द निरसित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित।